अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (24) के उपखंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xii) धारा 28 के खंड (vii) में निर्दिष्ट कोई राशि ;";

(ख) खंड (31) में, उपखंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, व्यक्ति समझा जाएगा, चाहे ऐसा व्यक्ति या निकाय या प्राधिकारी या विधिक व्यक्ति, आय, लाभ या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया या स्थापित या निगमित किया गया हो या न किया गया हो ।";

(ग) खंड (37क) के उपखंड (i) में, "या धारा 115खख या धारा 115ङ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "या धारा 115खख या धारा 115खखख या धारा 115ङ" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(क) खंड (3) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (4) के उपखंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसी प्रतिभूतियों या बंधपत्रों को विनिर्दिष्ट नहीं करेगी ;";

(ग) खंड (4ख) में, "पुरोधृत ऐसे बचत-पत्रों पर" शब्दों के स्थान पर, "1 जून, 2002 से पहले पुरोधृत बचत-पत्रों पर" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (5ख) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ङ) खंड (6) में, उपखंड (i) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(च) खंड (6क) में, "सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से 31 मार्च, 1976 के पश्चात्" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "किन्तु 1 जून, 2002 से पहले" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(छ) खंड (6ख) में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(i) "जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विदेशी राज्य" शब्दों के स्थान पर, "जिसे 1 जून, 2002 से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विदेशी राज्य" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "अनुमोदित किसी अन्य संबंधित करार" शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से पूर्व अनुमोदित किसी अन्य संबंधित करार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) खंड (10ग) में, उपखंड (viiख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viiग) संपूर्ण भारत या किसी राज्य या राज्यों में महत्व की कोई संस्था, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;";

(झ) खंड (10ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(10गग) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में, जो ऐसा व्यष्टि है, जो ऐसी किसी परिलब्धि की प्रकृति की आय व्युत्पन्न कर रहा है जिसके लिए उपबंध धारा 17 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत धनीय संदाय के रूप में नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारी के निमित्त, नियोजक के विकल्प पर, उसके नियोजक द्वारा वास्तविक रूप से संदत्त ऐसी आय पर कर ;"; 1956 का 1

(ञ) खंड (14क) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ट) खंड (15) में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(i) उपखंड (iiख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसे पूंजी विनिधान बंधपत्र विनिर्दिष्ट नहीं करेगी ;";

(ii) उपखंड (iiघ) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसे बंधपत्र विनिर्दिष्ट नहीं करेगी ।";

(ठ) खंड (20) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "स्थानीय प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है,—

(i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट पंचायत; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट नगरपालिका, या

(iii) नगरपालिक समिति और जिला बोर्ड,

जो किसी नगरपालिक या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए विधिक रूप से हकदार है या सरकार द्वारा न्यस्त की गई है; या

(iv) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 में यथापरिभाषित छावनी बोर्ड ।' ; 1924 का 2

(ङ) खंड (20क) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ढ) खंड (21) में तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 5

"परंतु यह भी कि जहां वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ने अपनी आय का पहले परंतुक के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयोग नहीं किया है ; या

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ने अपनी निधियों का पहले परंतुक के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिधान 10 या निक्षेप नहीं किया है ; या

(iii) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं ; या

(iv) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह संबंधित संगम को प्रस्तावित अनुमोदन को वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के 15 पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकेगी और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे संगम को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी ;";

(ण) खंड (22ख) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां किसी समाचार एजेन्सी को केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर दिया है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समाचार एजेन्सी ने आय का उपयोग या संचय या वितरण पहले परंतुक में 20 अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है, वहां वह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय अधिसूचना को विखंडित कर सकेगी और अधिसूचना के विखंडन के आदेश की एक प्रति ऐसी एजेन्सी को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी ;";

(त) खंड (23) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(थ) खंड (23क) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 25

"परंतु यह और कि जहां संगम या संस्था का केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो गया है कि,—

(i) ऐसे संगम या संस्था ने अपनी आय का उपयोग या संचय पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है ; या

(ii) संगम या संस्था के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए 30 ऐसे संगम या संस्था का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह संबंधित संगम या संस्था को प्रस्तावित अनुमोदन को वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकेगी और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे संगम या संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी ;";

(द) खंड (23ख) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित 35 किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां संस्था का खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उस आयोग का यह समाधान हो गया है कि,—

(i) संस्था ने अपनी आय का उपयोग या संचय पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है ; या

(ii) संस्था के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम 40 या संस्था का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह संबंधित संस्था को प्रस्तावित अनुमोदन को वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकेगा और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसी संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा ;";

(ध) खंड (23ग) में,— 45

(i) तीसरे परंतुक में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) अपनी आय का, उन उद्देश्यों के लिए, पूर्णतया और अनन्यतः उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है और ऐसी दशा में, जहां कोई आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् संचित की जानी है वहां ऐसे संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ; और"

(ii) नौवें परंतुक में, 3 फरवरी, 2001 से,— 50

(क) "धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अर्थान्तर्गत" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात्, "जिसकी बाबत आय और व्यय के लेखे उस धारा की उपधारा (5ग) के खंड (v) के अधीन विहित प्राधिकारी को उस धारा में विनिर्दिष्ट रीति में नहीं दिए गए हैं, या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) "या 31 मार्च, 2002 के पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "या 31 मार्च, 2003 के पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(iii) दसवें परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iv) दसवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय का उपयोग नहीं करती है और उसे संचय करती है वहां ऐसे संचयन में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को किया गया कोई संदाय या जमा उन उद्देश्यों के लिए, आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा, जिनके लिए, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या अस्पताल या चिकित्सा संस्था की स्थापना की गई है :

परंतु यह और भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी जाती है या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और तत्पश्चात् उस सरकार या विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्थान ने,—

(अ) अपनी आय का तीसरे परंतुक के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयोग नहीं किया है ; या

(आ) अपनी निधियों का तीसरे परंतुक के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप नहीं किया है ; या

(ii) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्थान के क्रियाकलाप,—

(अ) वास्तविक नहीं हैं ; या

(आ) उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसा संगम अधिसूचित या अनुमोदित किया गया था,

वहां वह संबंधित निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को प्रस्तावित कार्यवाही के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय, यथास्थिति, अधिसूचना को विखंडित कर सकेगा या अनुमोदन को वापस ले सकेगा और अधिसूचना को विखंडन करने या अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा ;";

(न) खंड (23घ) के प्रारंभिक भाग में, "अध्याय 12ङ के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों, अंकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(प) खंड (23ङ) का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(फ) खंड (23ङक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(23ङख) 1 अप्रैल, 2002 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पांच पूर्ववर्षों के संबंध में लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास, जो भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सृजित एक न्यास है, की कोई आय;";

1989 का 39

(ब) खंड (23चक) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(भ) खंड (23छ) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा;

(म) खंड (29) और खंड (33) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 10क का संशोधन।

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए इस उपधारा के अधीन कटौती ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का नब्बे प्रतिशत होगी ।"।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 10ख का संशोधन।

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए इस उपधारा के अधीन कटौती ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का नब्बे प्रतिशत होगी ।"।

धारा 11 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों के लिए संचित की जाती है या प्रयोग किए जाने के लिए पृथक् रखी या अलग रखी जाती है, वहां उस परिमाण तक, जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय उस संपत्ति से होने वाली आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में, "और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने के लिए अंतिम रूप से अलग रखी जाती है, वहां उस परिमाण तक जिस तक इस प्रकार अलग रखी गई आय उस संपत्ति से होने वाली आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, यदि पूर्ववर्ष में भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त आय, यथास्थिति, न्यास के अधीन धारित या भागतः न्यास के अधीन धारित संपत्ति से उस वर्ष के दौरान व्युत्पन्न आय से इस कारण से कम पड़ती है कि वह आय पूर्णतः या भागतः उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की गई है तो उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें आय प्राप्त होती है या ठीक पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के दौरान भारत में ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त उतनी आय, जो उक्त आय से अधिक नहीं है, आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विकल्प पर (ऐसे विकल्प का प्रयोग धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व लिखित में किया जाएगा) उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न हुई थी, ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त आय समझी जाएगी और इस प्रकार प्रयुक्त समझी गई आय, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें आय प्राप्त होती है या उस पूर्ववर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के दौरान, ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त आय की रकम का परिकलन करने में हिसाब में नहीं ली जाएगी ।";

(ख) उपधारा (1ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) जहां किसी आय का, जिसकी बाबत उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उक्त स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट अवधि के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, वहां, ऐसी आय उस पूर्ववर्ष के जिसमें आय प्राप्त हुई थी, ठीक पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के संबंध में, उसके प्राप्तिकर्ता व्यक्ति की आय समझी जाएगी ।";

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) "का पचहत्तर प्रतिशत" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उसके खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की गई किसी रकम को, जो उपयोजित नहीं की गई है किंतु संचित या अलग रखी गई है, या तो संचलन की अवधि के दौरान या उसके पश्चात्, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा ।";

(घ) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की जाती है ;";

(ii) "अलग रखी न रह जाए या ऐसे विनिहित या निक्षिप्त न रह जाए" शब्दों के स्थान पर, "अलग रखी न रह जाए या इस प्रकार विनिहित या निक्षिप्त या संदत्त या जमा न रह जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (3क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु निर्धारण अधिकारी, धारा 11 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किए गए संदाय या जमा के रूप में ऐसी आय का उपयोग अनुज्ञात नहीं करेगा ।"।

धारा 12 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में, 3 फरवरी, 2001 से,—

(क) "धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अर्थान्तर्गत न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त की गई संदान की कोई ऐसी रकम" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात्, "जिसकी बाबत उस धारा की उपधारा (5ग) के खंड (v) के अधीन विहित अधिकारी को उस रीति में जो उस खंड में विनिर्दिष्ट है, आय और व्यय के लेखे नहीं दिए गए हैं, या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) "या 31 मार्च, 2002 से पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "या 31 मार्च, 2003 से पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 12क का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12क के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

धारा 14क का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 14क में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, और 11 मई, 2001 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को या तो धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण करने या धारा 154 के अधीन निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय में कमी करने या निर्धारिती के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने का आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं करेगी।"।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन।

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में इस खण्ड की कोई बात ऐसे किसी कर्मचारी को लागू नहीं होगी, जिसकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय (चाहे एक या अधिक नियोजकों से शोध्य या उनके द्वारा संदत्त या उनके द्वारा अनुज्ञात की गई है) ऐसी सभी परिलब्धियों को छोड़कर, जिनके लिए धनीय संदाय के रूप में उपबंध नहीं किया गया है, एक लाख रुपए से अधिक नही है।"।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 24 के खंड (ख) में, 1 अप्रैल, 2003 से,— धारा 24 का संशोधन।

(क) दूसरे परंतुक में, "1 अप्रैल, 2003 से पहले" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, अंत से तीन वर्ष के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक और स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती, संपत्ति के ऐसे अर्जन या सन्निर्माण या संपूर्ण उधार ली गई पूंजी या उसके ऐसे किसी भाग के, जो नए ऋण के रूप में प्रतिसंदत्त किए जाने के लिए शेष रहता है, संपरिवर्तन के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको उधार दी गई पूंजी पर कोई ब्याज संदेय है, एक प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "नए ऋण" पद से ऐसी पूंजी के प्रतिसंदाय के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा उधार ली गई पूंजी के पश्चात् लिया गया संपूर्ण ऋण या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ।'।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 28 के खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 28 का संशोधन।

'(vii) (क) किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए ; या

(ख) किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए ; या कोई व्यवहार-ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्ति, फ्रैंचाइज या इसी प्रकृति का कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार या ऐसी कोई जानकारी या तकनीक जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता के लिए संभावित हो, भाग न पाने के लिए,

किसी करार के अधीन, चाहे नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य कोई राशि ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "करार" के अंतर्गत कोई ठहराव या समझौता या सामूहिक कोई कार्य है,—

(अ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्य प्रायिक अथवा लिखित में हो या न हो ; या

(आ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्य विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तन के लिए आशयित हो या न हो ;

(ii) "सेवा" से किसी वर्णन की ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो संभावी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति के कारबार के संबंध में, जैसे लेखाकर्म, बैंककारी, संचार, समाचारों या सूचना का संवाहन, विज्ञापन, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, शिक्षा, वित्त पोषण, बीमा, चिटफंड, स्थावर संपदा, सन्निर्माण, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा का प्रदाय, बोर्डिंग और लाजिंग की सेवाओं की व्यवस्था करना भी है ।'।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2003 से, — धारा 32 का संशोधन।

(क) खंड (ii) में,—

(i) दूसरे परंतुक में, "या खंड (ii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "खंड (ii) या खंड (iiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) पांचवें परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण 2 में, "इस खंड के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर, "इस धारा के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iiक) किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित किया गया है, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के वास्तविक मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर की और राशि खंड (ii) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी:

परंतु ऐसे पन्द्रह प्रतिशत की और कटौती निम्नलिखित को अनुज्ञेय होगी,—

(अ) किसी नए औद्योगिक उपक्रम को, ऐसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसा उपक्रम, 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है ; या

(आ) 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व विद्यमान किसी औद्योगिक उपक्रम को ऐसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें वह संस्थापित क्षमता में पच्चीस प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि के रूप में सारवान् विस्तार प्राप्त करता है :

परंतु यह और कि निम्नलिखित की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं होगी,—

(क) ऐसी कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसे निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में या भारत से बाहर प्रयुक्त किया गया था ; या

(ख) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथिगृह के रूप में निवास-स्थान भी है, संस्थापित कोई मशीनरी या संयंत्र ; या

(ग) कोई कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यान ; या

(घ) कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत या उसका भाग किसी एक पूर्ववर्ष की "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) के रूप में अनुज्ञात किया गया है :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के, यथास्थिति, खंड (अ) या खंड (आ) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित आय की विवरणी और लेखाकार की रिपोर्ट के साथ मशीनरी या संयंत्र और उत्पादन की संस्थापित क्षमता में वृद्धि के, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ब्यौरे यह प्रमाणित करते हुए नहीं दे देता है कि कटौती का इस खंड के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(1) "नए औद्योगिक उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है, जो,—

(क) पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या पुनः संरचित करके नहीं बनाया गया है ; या

(ख) पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के नए कारबार में अंतरण द्वारा बनाया गया गया है।

(2) "संस्थापित क्षमता" से 31 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को विद्यमान उत्पादन की क्षमता अभिप्रेत है ।'।

धारा 33कग का संशोधन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 33कग की उपधारा (1) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसे आरक्षित खाते में समय-समय पर अग्रनीत रकमों का योग, समादत्त शेयर पूंजी, साधारण आरक्षितियों की रकमों और निर्धारिती के शेयर प्रीमियम खाते में जमा की गई रकम के योग के दुगुने से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत इस उपधारा के अधीन कोई मोक नहीं दिया जाएगा ।"।

धारा 35कग का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 35कग की उपधारा (5) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां—

(i) किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी संगम या संस्था को अनुदत्त राष्ट्रीय समिति का अनुमोदन उपधारा (4) के अधीन वापस ले लिया जाता है या उपधारा (5) के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था की दशा में पात्र परियोजना या स्कीम के लिए अधिसूचना वापस ले ली जाती है ; या

(ii) किसी कंपनी से पात्र परियोजना या स्कीम पर प्रत्यक्ष रूप से उपगत किसी व्यय की बाबत उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया है और पात्र परियोजना या स्कीम के लिए अनुमोदन राष्ट्रीय समिति द्वारा उपधारा (5) के अधीन वापस ले लिया जाता है,

वहां, यथास्थिति, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा प्राप्त ऐसे संदाय की कुल रकम, जिसकी बाबत, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था ने उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है या किसी कंपनी द्वारा उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया गया है, ऐसे पूर्ववर्ष के लिए, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था की आय समझा जाएगा, जिसमें ऐसा अनुमोदन या अधिसूचना वापस ली जाती है और ऐसी आय पर उस वर्ष में प्रवृत्त अधिकतम मार्जिन दर पर कर प्रभारित किया जाएगा ।"।

धारा 35गगख का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 35गगख की उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, "कोई व्यय उपगत करता है" शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व कोई व्यय उपगत करता है" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ।

धारा 35घघक का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी और 1 अप्रैल, 2001 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है, उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है और ऐसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व समामेलन की किसी स्कीम में अन्य भारतीय कंपनी में अंतरित किया जाता है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, समामेलित कंपनी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे समामेलक कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि समामेलन न हुआ होता ।

(3) जहां किसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व किसी अविलयन की स्कीम में अन्य कंपनी में अंतरित किया जाता है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, पारिणामिक कंपनी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे अविलयित कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि समामेलन न हुआ होता।

(4) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ हो, जिसके द्वारा धारा 47 के खंड (xiii) में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हुए किसी फर्म का उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है या धारा 47 के खंड (xiv) में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हुए कोई स्वत्वधारी समुत्थान का उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है तो इस धारा के उपबंध, उत्तरवर्ती कंपनी को, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, मानो फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान को लागू हुए होते, यदि कारबार का पुनर्गठन न हुआ होता ।

(5) कोई कटौती इस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समामेलक कंपनी की दशा में, उपधारा (3) में निर्दिष्ट अविलयन कंपनी की दशा में, उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय की बाबत और उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें, यथास्थिति, समामेलन, अविलयन या उत्तराधिकार हुआ है, अनुज्ञात नहीं की जाती है ।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।